उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द बनेगा 'उ.प्र. इण्डस्ट्रियल सर्विसेज़ गारण्टी ऐक्ट

मुख्य सचिव– प्रस्तावित अधिनियम उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकासन्मुख एवं पारदर्शी माहौल का सृजन तो करेगा ही साथ ही जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।

लखनऊ, 13 मई 2013:

प्रदेश में उद्योग स्थापना हेतु विभिन्न स्वीकृतियों एवं अनापत्तियों को समयबद्ध रूप से जारी कराने के लिये अग्रणी एवं प्रभावी कदम उठाते हुये राज्य सरकार ने एक नया अधिनियम बनानेका निर्णय लिया है। इस संबन्ध में मुख्य सचिव, जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में आज यहॉ एक उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई।

इस अवसर पर विशेष सचिव, औद्योगिक विकास एवं संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु कौशलराज शर्मा ने एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया। इस बैठक में प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास–संजय अग्रवाल, प्रमुख सचिव, लघु उद्योग–मुकुल सिंघल, प्रमुख सचिव, श्रम–शैलेश कृष्ण, प्रमुख सचिव, गृह–आर.एम. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार/लोक सेवा प्रबन्धन–पी.के. सारंगी, और सचिव, औद्योगिक विकास–धीरज साहू सहित न्याय, विद्युत सुरक्षा, प्रदूषण नियंणत्रण, विद्युत निगम आदि विभागों के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रस्तावित अधिनियम को उद्योग बन्धु द्वारा ड्रॉफ्ट किया जाएगा। 'उ.प्र. इण्डस्ट्रियल सर्विसेज़ गारण्टी ऐक्ट' के अन्तर्गत् अधिसूचित सेवाओं का समयबद्ध निस्तारण तथा विलम्ब होने की दशा में उत्तरदायी अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्राविधान होगा। खास तौर से स्वीकृति/अनापत्ति जारी करने में विलम्ब के दोषी पाये गये अधिकारी पर अर्थदण्ड तथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का भी प्राविधान होगा।

प्रस्तावित अधिनियम में, प्रथम चरण में 7 विभागों यथा–उद्योग निदेशालय, ऊर्जा, विद्युत सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण, अग्निशमन, श्रम एवं कारखाना से संबन्धित 14 सेवाओं को सम्मिलित किया जाएगा।

प्रस्तावित् अधिनियम के ड्रॉफ्ट में इस बात का समावेश किया जाएगा कि उद्योगों स्वीकृतियॉ/अनापत्तियॉ जारी करने हेतु संबन्धित विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एवं उसके निर्णय के विरुद्ध अपील हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी को नामित किया जाएगा। प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेशों से संतुष्ट न होने पर उद्यमी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकेगा। कार्य में विलम्ब अथवा समुचित कारणों के बिना उद्यमी के आवेदन पर कार्यवाही न करने की दशा में दोषी अधिकारी के ऊपर अधिकतम 50,000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया जाएगा।

इस कदम को उत्तर प्रदेश में औद्योगिक वातावरण को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुये मुख्य सचिव, जावेद उस्मानी ने कहा–''उद्योगों तथा उद्यमियों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने के लिये 'उ.प्र. इण्डस्ट्रियल सर्विसेज़ गारण्टी ऐक्ट' अलग से बनाया जाएगा। यह कानून हाल ही में ही घोषित अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये एक प्रभावी माध्यम सिद्ध होगा।''

इस बिल के ड्राफ्ट को एक माह में तैयार करने का निर्देश देते हुये मुख्य सचिव ने कहा कि प्राधिकृत अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों को संबधिन्त विभागों से विचार विमर्श नामित किया जाना चाहिए।

प्रस्तावित अधिनियम का ड्राफ्ट बिल उ.प्र. मंत्रिमण्डल के अनुमोदन हेतु आगामी माह के अन्त तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है।

प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकासए संजय अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में लागू इन्टरनेट आधारित निवेश मित्र व्यवस्था के अन्तर्गत् यह पाया गया है कि उद्यमियों लगभग 25 प्रतिशत आवेदनों का निस्तारण निर्धारित समयावधि के बाद किया जाता है। इस कानून के आ जाने से इस समस्या का निस्तारण हो सकेगा।

ज्ञाल हो कि प्रदेश में लागू निवेश मित्र व्यवस्था के अन्तर्गत इन्टरनेट के माध्यम से उद्योगों को 12 विभागों की 36 सेवायें प्रदान की जा रही हैं।